विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के पथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अशोक कुमार, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–31 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
31–(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि अमित सिंह चौहान, विधायक, बीकापुर, फैजाबाद का पत्र दिनांक 10 व 20 मई, 2022 तथा दिनांक 08.06.2022 जो मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन को एवं पुनः अनुस्मारक पत्र, दिनांक 19 जुलाई, 2022 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित जनपद–अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, विकास खण्ड–सोहावल के अन्तर्गत ग्राम समूह ढ़ेमवा रामपुर कछार की सुरक्षा हेतु ढ़ेमवा पुल से ढ़ेमवा शमशान घाट के मध्य कटाव निरोधक कार्य एवं ग्राम समूह रौनाही आदि तथा रौनाही पम्प हाउस की सुरक्षा हेतु पम्प हाउस के अपर स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में स्टोन बोल्डर पिचिंग एवं निर्मित डैम्प सं0 1 से 09 तक के पुनरोद्धार कार्य हेतु पत्र में वर्णित क्रमांक 01 से 05 तक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जॉच कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है?	जी हॉ।
(ख) यदि हॉ, तो पत्रों के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा पत्रों में वर्णित बिन्दुओं की जॉच टी0ए0सी0 अथवा उच्चस्तरीय निष्पक्ष जॉच एजेंसी से कराते हुए जॉच में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं अन्य उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही	उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैंः– 1– खनन विभाग की बिना अनुमति के निर्माण स्थल के बगल से ही बालू की खुदाई करके मानक से कम मात्रा में बोरी में बालू भरकर कमजोर निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के बगल ही खुदाई करने से निर्माणाधीन डैम्पनर के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहेगी। 2– घटिया स्तर का बोल्डर की आपूर्ति अन्डर

की गयी?	साइज बोल्डर 30 प्रतिशत से अधिक की मात्रा में किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 20 किग्रा0 और 40 किग्रा0 साइज के आपूर्ति के आदेश हैं कि अधिक मात्रा में 10 किग्रा0 साइज के नीचे बोल्डर की आपूर्ति की गयी है, जिसे पानी के बहाव में बह जाने के कारण डैम्पनर निश्चय ही कमजोर हो जायेगा। 3– शासन द्वारा प्रतिबन्धित मड पम्प द्वारा नदी के पानी से ही बालू निकाल कर खनन नियमों की अवहेलना की जा रही है।
(ग) क्या भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों की जॉच उसी विभाग के अधिकारियों से कराई गई है?	मा0 मख्य मंत्री जी के निर्देश पर तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं जॉच की गयी।
(घ) क्या पूरे प्रकरण की जॉच पुनः शासन स्तर से जॉच समिति गठित करते हुए टी0ए0सी0 से कराई जायेगी?	जी नहीं। प्रकरण में मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर दिनांक 06.05.2022 को तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर जांच की गयी है। जांच में कार्य मानक के अनुसार पाया गया। कोई भी अधिकारी उत्तरदायी नहीं पाया गया।
(ड.) यदि हॉ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(च) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

स्वतंत्र देव सिंह
मंत्री,
जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।